

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद

संख्या.....03.....

वर्ष 20..24....

विविधवाद/ प्रथम अपील

बनाम

अपीलकर्ता श्रीमती गुडिया ठाकुर,
राम व अनम नगर, कदमा,
अमशेकपुर

वाद प्रारम्भ की तिथि
दि० - 09/01/2024

प्रतिवादी जिला आधुनिक पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम।

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|--------------|---------------------|--------------------|
| | | |

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति

वाद सं०-03/2024


परिवादी श्रीमती गुड़िया ठाकुर, राम जनम नगर, कदमा, जमशेदपुर का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक-28.12.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवाद पत्र में उल्लेख किया गया है कि परिवादी 60% आग से जली हुई अवस्था में जीवन व्यतीत कर रही हैं एवं उनके पति मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। परिवादी का आरोप है कि बिना किसी स्थानीय जांच के उनका राशन कार्ड संख्या-202007275710 को रद्द कर दिया गया। यह भी कि उनके द्वारा पूर्व में भी इसकी शिकायत की गई थी किन्तु उसपर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो पाई। परिवादी द्वारा अपने राशन कार्ड को पुनः चालू कराने का आग्रह किया गया है।


प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक-30.01.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक-30.01.2024 को अपराहन 12:00 बजे रखें।


(शबनम परवीन)

सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।


(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।